न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3128–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–8–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसीलर हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 21/अ6अ/2013–14.

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड,
जे0पी0 नगर नौवस्ता रीवा जिला रीवा
——— आवेदक

विरूद्ध

1. राजरूप पाण्डेय तनय स्व0 भगवानराम पाण्डेय
2. गजरूप पाण्डेय तनय स्व0 भगवानराम पाण्डेय
3. अरविन्द कुमार पाण्डेय तनय स्व0 राजमणि पाण्डेय
4. अशोक कुमार पाण्डेय तनय स्व0 राजमणि पाण्डेय
5. अरूण कुमार पाण्डेय तनय स्व0 राजमणि पाण्डेय
6. अजय कुमार पाण्डेय तनय स्व0 राजमणि पाण्डेय
7. श्रीमती शशि पाण्डेय पत्नी स्व0 अंजनी कुमार पाण्डेय
   सभी निवासी ग्राम दादर तहसील हुजूर जिला रीवा
8. स्टेट ऑफ म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक आवेदक
श्री डी0पी0 सिंह, अभिभाषक, अनावेदक कं 1 एवं 2
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक कं. 3 से 7
श्री बी0एन0 त्यागी, पैनल अभिभाषक, अनावेदक कं. 8

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27 जुलाई 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसीलर हुजूर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक जयप्रकाश एशोसियेट लिमिटेड नौबस्ता रीवा ने एक आवेदन नायब तहसीलदार वृत बनकुईया तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत अिकया कि अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी तहसील हूजूर द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 185/अ–67/05–06 आदेश दिनांक 25–3–06 एवं 178/अ–67/05–06 में पारित आदेश दिनांक 24–3–06 के द्वारा कुल रकवा 21.577 हे0 भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसमें ग्राम मरहा एवं सकरवट की कमश 18.975 तथा 2.602 है0 के रिकार्ड दुरूस्त किया जाये। नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 05–10–12 के द्वारा आवेदक के पक्ष में रिकार्ड दुरूस्ती के आदेश दिये। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष समयबाधित अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 25–8–14 के द्वारा प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मान्य करते हुये प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि अनावेदकों ने नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 05–10–12 के विरूद्ध 454 दिन के विलम्ब से दिनांक 03–1–14 को अपील प्रस्तुत की, जबकि अपील प्रस्तुत करने की अवधि केवल 45 दिवस है। यह भी तर्क दिया कि नायब तहसीलदार के जिस आदेश दिनांक 05–10–12 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है वह मूल आदेश नहीं मात्र अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी के प्रकरण कमांक 185/अ–67/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 25–3–2006 का कियान्वयन है जिसके विरूद्ध अपील नहीं हो सकती है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस वैधानिक बिन्दु को नजरअंदाज करके अपील को समय–सीमा में मान्य करने में अवैधानिकता की है। तर्क में यह भी कहा कि अनावेदकों को भू–अर्जन अधिकारी के आदेश दिनांक 25–3–06 की पूरी जानकारी उसी दिनांक से थी और उनके द्वारा भू–अर्जन अधिकारी द्वारा

निर्धारित मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया था, इस कारण अब 8 वर्षों बाद उनके द्वारा प्रस्तुत अपील पूरी तरस से समय बाधित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।यह भी तर्क किया कि प्रकरण में अनावेदक कमांक 3 लगायत 7 हितबद्ध पक्षकार नही थे तथा उन्होंने अपील करने की अनुमति भी नहीं ली, जिस कारण उनके द्वारा प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं थी, इस वैधानिक बिन्दु पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक कं0 1 एवं 2 के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी के जिस आदेश दिनांक 25–3–06 के आधार पर विवादित भूमिया के कब्जा व भूमिस्वामी कालम में नाम अंकित करना चाहते हैं वह आदेशपारित हीं नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचारणीय था कि विवादित भूमियों में आवेदकगण द्वारा को स्वत्व आवेदक के हक में कभी अन्तरित हीं नहीं किया गया तो उस स्थिति में भूमिस्वामी कालम में आवेदक के नाम की प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश अवैधानिक एवं अनियमित है। तर्क में यह भी कहा कि तहसील न्यायालय में अनावेदकों को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही किसी प्रकार की कोई सूचना व सुनवाई का अवसर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है। यह भी तर्क किया कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर उसके द्वारा जानकारी दिनांक से समय–सीमा में अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने समय–सीमा में मानने में उचित कार्यवाही की है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक कमांक 3 लगायत 7 द्वारा तर्क में बताया कि आवेदक द्वारा अनावेदकों को बिना पक्षकार बनाये तहसील न्यायालय में नाम इंद्राज कराने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्हें बिना पक्षकार बनाये एवं सुनवाई किये आदेश पारित करने में त्रुटि की है। इसी कारण उनके द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संयुक्त रूप से अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने समय–सीमा में मान्य करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। इस न्यायालय में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मान्य करने में त्रुटि की है?

विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ महाप्रबंधक की ओर से ग्राम बनकुइया सकरवट मरहा की अधिग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज हेतु प्रस्तुत किया। अनावेदकों सहित अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को किसी प्रकार की सूचना नायब तहसीलदार द्वारा नहीं दी गई है। अनावेदकों सहित अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को बिना पक्षकार बनाये ही तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाना एवं उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिये उनकी भूमियों के राजस्व रिकार्ड में बदलाव करना नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। जब किसी व्यक्ति को बिना पक्षकार बनाये एवं उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिये कोई आदेश पारित किया जाता है तब उसकी जानकारी के दिनांक से समय–सीमा की गणना की जाना चाहिए। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकों को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी दिनांक 31–12–13 को होना मान्य कर प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में माना है। विलंब क्षमा करना यह अधीनस्थ न्यायालय के विवेक पर निर्भर है वरिष्ठ न्यायालय केवल यह देख सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों का उपयोग विधिवत किया है या नहीं। न्यायालय को उदार होकर विलंब के संबंध में विचार करना चाहिए क्योंकि न्यायालय का उद्धेश्य गुणदोष पर न्याय देना है ना कि तकनीकि आधार पर।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत 1987 एस0सी0 1353 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

" Limitation Act (36 of 1963) S. 5- Condonation of delay - Courts should adopt liberal approach - Reasons for adopting such approach stated.

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन कर प्रकरण को समय–सीमा में मानकर गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रकरण निर्धारित किया है। इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विलंब को क्षमा करते हुए प्रकरण को अंतिम निराकरण हेतु नियत किया है। आवेदक सहित अनावेदकों को प्रकरण में अपना–अपना पक्ष रखने का सम्पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक आवेदक द्वारा अन्य तर्कों का प्रश्न है चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित समय–सीमा के बिन्दु पर पारित आदेश को इस न्यायालय में चुनौती दी गई इसलिए अन्य तर्कों का इस न्यायालय से निराकरण नहीं किया जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अभी प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण होना शेष है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा का आदेश दिनांक 25–8–14 स्थिर रखा जाता है तथा प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को वापस किया जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर